# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2023

(पंचायत) निगरानी संख्या 11/ 23
जीसीएम संख्या :–2023/81
बउनवानीः– 1. आशाराम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी गुणशीला तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सावंलराम पुत्र भैरूलाल मीना निवासी गुणशीला तहसील चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत पावडेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पावडेरा प.स. चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व निर्णय दिनांक 14.5.2018 की पालना मे जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 15.5.2018 ग्राम पंचायत पावडेरा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील प्रार्थी
2. श्री बालकृष्ण उपाध्याय — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27.3.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत पावडेरा द्वारा निर्णय दिनांक 14.5.2018 की पालना मे जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 15.5.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि शंकर बैरवा की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 111,112,116 वाके ग्राम गुणशीला कभी भी आबादी की भूमि नही रही है ओर नही इनसे लगती हुई भूमि कभी आबादी की भूमि रही है। शंकर बैरवा का खेत आराजी ख0न0 111,116 के उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 340/935 है0 जो कि चरागाह की भूमि है, चरागाह की भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान या ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नही है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जिस भूमि का पटटा जारी करना बताया है वह भूमि ग्राम पंचायत की खातेदारी भूमि नही होने के कारण ग्राम पंचायत पावडेरा को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि के अंतरण का निर्णय करने का कोई अधिकार नही होने के कारण निर्णय ग्राम पंचायत काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने बिना विधिक नोटिस जारी किये भूमि विक्रय से संबंधित नियमों की पालना किये बिना अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्णय किया है तथा उक्त निर्णय से संबंधित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है बल्कि उक्त भूमि चरागाह है जिसको अन्तरण करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है तथा उक्त भूमि को अन्तरित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पटवारी रिपोर्ट प्राप्त नही की गयी है क्योकि अप्रार्थीगण जानते थे कि यदि पटवारी से रिपोर्ट ली गयी तो चरागाह भूमि प्रकट हो जावेगी। विवादित स्थान पर प्रार्थी का बाडा बना हुआ है जिसे प्रार्थी हमेशा से चारा,बलीता रखने,टाप बनाकर, रेवडा व फसलो को काटकर तैयार करने हेतु सर्वदा बाडे के रूप मे उपयोग लेता आ रहा है। पटटे मे बतायी गयी सीमा का प्लाट ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मे नही है ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ख0न0 981/935 से लगता हुआ शंकर बैरवा का कोई खेत नही है बल्कि शंकर बैरवा व आबादी भूमि के बीच मे चरागाह की जमीन है जिसे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। उक्त भूमि की किस्म के संबंध मे तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1044 दिनांक 19.6.2024 से भिजवायी गयी रिपोर्ट मे अप्रार्थी का पटटा संख्या 28 गुणशीला के खसरा नम्बर 340 की चरागाह भूमि पर जारी किया जाना बताया गया है, उक्त रिपोर्ट से यह भंलिभाति सिद्व हो जाता है कि ग्राम पंचायत पावंडेरा द्वारा विवादित पटटा ग्राम गुणशीला की चरागाह भूमि पर जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के बाहर जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 की माता द्वारा प्रस्तुत दावे का नोटिस दिनांक 21.5.2023 जिसमे दिनांक 30.6.2023 को न्यायालय सिविल



Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:07 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायाधीश मे उपस्थित होने का प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत मे दिनांक 30.5.2023 को नकल की दर0 पेश कर नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मयाद बाहर है क्योकि प्रार्थी आदेश जैर निगरानी दिनांक 14.5.2018 को निरस्त करने बाबत दिनांक 19.6.2023 को लगभग 5 वर्ष बाद निगरानी पेश करने का कोई उचित कारण नही बताया है इसलिए मयाद बाहर प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है एवं मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे नियमानुसार ही पटटा जारी किया गया है। यह भी तर्क दिया कि उक्त पटटे से संबंधित भूमि प्रशासन आपके द्वार अभियान,2004 के दौरान प्रभारी अधिकारी प्रशासन आपके द्वार अभियान,2004 तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश क्रमांक/केम्प/10 दिनांक 6.12.2004 से आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि निगरानीकार को आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी सिविल न्यायालय के नोटिस दिनांक 31.5.2023 के जरिये होने बाबत किये गये कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सिविल न्यायालय के नोटिस की प्रति से हो जाती है। उक्त जानकारी से निगरानीकार द्वारा निगरानी दिनांक 20.6.2023 को पेश की गयी है जो अन्दर मयाद है। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी रिपोर्ट नही ली गयी है किन्तु न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 28 की भूमि के संबंध मे तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा उक्त पटटा ग्राम गुणशीला के ख0न0 340 की चरागाह भूमि पर जारी किया जाना बताया है ओर चरागाह भूमि पर ग्राम पंचायत को पटटा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत केवल मात्र आबादी भूमि पर पटटा जारी कर सकती है। उक्त भूमि की किस्म पटटा जारी करते समय भी ओर आज भी चरागाह है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पटटे से संबंधित भूमि प्रशासन आपके द्वार अभियान,2004 के दौरान प्रभारी अधिकारी प्रशासन आपके द्वार अभियान,2004,तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश क्रमांक/केम्प/10 दिनांक 6.12.2004 से आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो उक्त आदेश में ख0न0 229,234/934 एवं 340/935 की कुल 1.40 है0 भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गयी है विवादित पटटे से संबंधित भूमि ख0न0 340 आबादी विस्तार हेतु आरक्षित नही की गयी है। जहॉ तक तरमीम गलत होने का प्रश्न है तो ग्राम पंचायत को सही तरमीम करवाकर नामा0 खुलवाने के उपरान्त पटटा जारी करना चाहिए था। उक्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:07 IST
Reason: SelfAttested